भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिन्ह लगाने की अनुज्ञप्ति
Licence for the use of STANDARD MARK

लाइसेंस सं. सीएम/एल- 6200165603
Licence No. CM/L – 6200165603

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मेसर्स. अभिनंदन पेट्रो प्याक प्राइवेट लिमिटेड,
27/1ए, वडेरा मंचेनहल्लि, कल्लु बालु पोस्ट, जिगनि होब्लि,
जिल्लाः बैंगलोर अरबान - 560105
कर्नाटक

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट मानक चिन्ह का, इस अनुसूची के तीसरे स्तंभ में दी गई किस्मों पर, उपयोग करने के लिए यह अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। इन उत्पादित किस्मों पर चिह्न का उपयोग उक्त अनुसूची के व्दितीय स्तंभ में समय-समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित/संदर्भित संबध्द भारतीय मानक (मानकों) के अनुसार/अनुरूप विनिर्मित हो।

By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) the Bureau hereby grants to

M/s. ABHINANDAN PETRO PACK PVT. LTD.
27/1A, VADERA MANCHENA HALLI,
KALLU BALU POST, JIGANI HOBLI,
DIST: BANGALORE URBAN - 560105
KARNATAKA

(hereinafter called the Licensee) this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति में अनुबंध अनुज्ञप्ति की शर्तों के लिए अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी है। यह अनुज्ञप्ति पहली अनुसूची में यथा-उल्लिखित नाम, कारखाना के पते और अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे स्कीम-I में निर्दिष्टानुसार नवीकृत कराया जा सकता है।

2. This Licence carries obligations on part of the licensee as conditions of licence which are given in Annexure attached herewith. This licence shall be valid for the name, factory address and period as mentioned in the schedule and may be renewed as specified in the scheme-I.

अनुसूची
Schedule

(अनुज्ञप्ति सं. सीएम/एल- 6200165603)
(Licence No.CM/L- 6200165603)

Name: M/s. ABHINANDAN PETRO PACK PVT. LTD.,
Factory Address: 27/1A, VADERA MANCHENA HALLI,
KALLU BALU POST, JIGANI HOBLI,
DIST: BANGALORE URBAN - 560105
KARNATAKA

यह अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) 10 मार्च 2021 से 09 मार्च 2022 तक विधिमान्य रहेगा
Validity from 10 March 2021 to 09 March 2022

Standard Mark	Indian Standard	Scope of Licence	Marking Fee
(1)	(2)	(3)	(4)
IS 14887  CM/L- 6200165603	भा मा 14887 : 2014	पॉलिप्रोपलीन (पीपी) वोवेन स्याक्स् फॉर प्यगकिंग ऑफ़ 50केजि फुड ग्राइन्स.	सभी इकाईयों के लिए रू.150/- प्रति इकाई (1 इकाई = 1एम टी) अथवा रू.66000/- न्यूनतम मुहरांकन फीस एक वर्ष के परिचालन के लिए। 1 इकाई = 1 एमटी
	IS 14887 : 2014	Polypropylene (PP) Woven Sacks For Packaging of 50kg Food Grains.	Rs.150/- per unit (1 Unit = 1 MT) for all units with minimum marking fee of Rs. 66000/- during an operative period of one year. 1 Unit = 1 MT एक प्रचालन वर्ष के लिए न्यूनतम चिह्नांकन शुल्क अग्रिम में देना होगी जो अगले नवीकरण में अग्रनात होगी। Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s)

आज वर्ष 2021 के मार्च माह की 18 तारीख को हस्ताक्षरित, मुहरबंद किया गया।
Signed, Sealed and dated this 18 day of March month of Year 2021

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से
For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

वैज्ञानिक–एफ एवं प्रमुख, (बेंगलूरू शाखा)
Scientist-F & Head, (Bengaluru Branch)

उपाबंध

(अनुज्ञप्ति सं. सीएम/एल.6200165603)

अनुज्ञप्ति की शर्तें

(1) मानक चिन्ह का डिजाइन अनुज्ञप्ति में दी गई गई प्रतिकृति के आनुषंगिक होगा।

(2) मानक चिन्ह के फोटोग्राफिक विस्तार अथवा लघुकरण का उपयोग भी कीया जा सकता है, जब तक ब्यूरो व्दारा कोई अन्य विनिर्दिष्ट न दिए हों।

(3) अनुज्ञप्तिधारी उस संबध्द माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा की भारतीय मानक के अनुसार अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा जिसके लिए मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग किया गया है।

(4) अनुज्ञप्तिधारी उस माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा के लिए मानक चिन्ह का उपयोग नहीं करेगा जो गैर-अनुरूप अथवा आनुज्ञप्ति के विषय-क्षेत्र से बाहर हैं।

(5) जिस माल और वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह का उपयोग किया गया है अगर वे संबध्द मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, तो ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को ऐसे गैर-अनुरूपता वाले माल को वापिस लेने का निदेश दे सकता है।

(6) अनुज्ञप्ति के आस्थगन अथवा निलंबन के दौरान अथवा उसकी समाप्ति अथवा रद्द होने के पश्चात् किसी संबध्द माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, उपयोग अथवा सेवा के लिए मानक चिन्ह का उबयोग अथवा अनुप्रयोग नहीं किया जाएगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी को उस अनुरूपता आकलन योजन के उपबंधों का पालन करना होगा जिसके अंतर्गत उसे अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है, जिसमें लेबलिंग और चिन्हांकन अपेक्षाएं भी शामिल हैं।

(8) अनूज्ञप्तिधारी ब्यूरो व्दारा समय पर यथा-विनिर्दिष्ट अभिलेख अनुरक्षित रखेगा।

(9) अनूज्ञप्तिधारी अपने परिसरों में निरीक्षण अथवा लेखापरीक्षा करने से संबंधित सभी प्रकार की सहायाग ब्यूरो को उपलब्ध कराएगाछ

(10) अनूज्ञप्तिधारी उत्पाद और मानक चिन्ह के उपयोग अथवा अनुप्रयोग से संबंधित जानकारी जब अपेक्षा ब्यूरो के प्रदान करेगा।

(11) यदी माल अथवा वस्तुओं पर मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया हो तो अनुज्ञप्तिधारी को उन परेषिती, नितरकों, व्योहारी अथवा फुटकर विक्रेता की सूची देनी होगी, जिनको मानक चिन्ह वाले माल अथवा वस्तुओं की आपूर्ति की गई है।

(12) ब्यूरो के अनुमोदन के बिना अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जाएगा।

(13) मानक चिन्ह वाले किसी म्ल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा से संबंधित शिकायत प्रमाणित होने पर ब्यूरो अनूज्ञप्तिधारी अथवा प्रतिनिधि को मानक मुहरांकित माल और वस्तुओ की मरम्मत अथवा बदलने अथवा पुनर्निर्माण के निर्देश दे सकता है।

(14) अनूज्ञप्तिधारी को कम से कम एक माह के नोटिस दे कर ब्यूरो, अनुज्ञप्ति की शर्त को संशोधन का अधिकार रखता हौ।



Annexure
(Licence No. CM/L-6200165603)
Conditions of the licence

1) The design of Standard Mark shall be identical to the facsimile given in the licence.

2) The photographic enlargement or reduction of the Standard Mark may also be used, unless otherwise specified by the Bureau.

3) The licensee shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to the Indian Standard in relation to which Standard Mark is used or applied.

4) The licensee shall not use the Standard Mark in relation to goods, articles, process, system or service which are non- conforming or outside the scope of the licence.

5) If goods and articles in relation to which a Standard Mark has been used do not conform to the requirements of the relevant standard, the Bureau may direct the licensee or his representative to recall such non-conforming goods.

6) The Standard Mark shall not be used or applied in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, or, after expiry or cancellation of the licence.

7) The licensee shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which licence is granted, including labeling and marking requirements.

8) The licensee shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.

9) The licensee shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises.

10) The licensee shall provide information relating to production and use or applying of Standard Mark as and when it is required by the Bureau.

11) If the licence is granted to use or apply Standard Mark on goods or articles, the licensee shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to who m goods or articles with Standard Mark is supplied.

12) The licence shall not be transferred to any person without approval of the Bureau.

13) If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service bearing Standard Mark is established, the Bureau may direct the licensee or his representative to repair or replace or reprocess the standard marked goods and articles.

14) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of licence by giving a notice of not less than one month to the licensee.

26/6/2021